

उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग-3

संख्या- 9/2016/101 /चि0-3-16-टी0-1(314)/2015

लखनऊ : दिनांक : 18 जनवरी, 2016

कार्यालय ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से डा0 अमिता गुप्ता, पैथालाजिस्ट (वरि0क्र0-11482, लेवल-2) अर्बन पी0एच0सी0 लालबाग लखनऊ को जनहित में स्थानान्तरण/समायोजन करते हुए उन्हें 100 शैय्या संयुक्त टी0बी0 चिकित्सालय ठाकुरगंज लखनऊ में पैथालॉजिस्ट के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

2- डा0 गुप्ता को निर्देशित किया जाता है कि वह तत्काल अपने नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराये।

विनोद कुमार सिंह

संयुक्त सचिव

संख्या- 9/2016/101 (1)/चि0-3-16.तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिदेशक/निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
2. अपर निदेशक (कार्मिक/गोपन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लखनऊ कण्डल, लखनऊ ।
4. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक 100 शैय्या संयुक्त टी0बी0 चिकित्सालय लखनऊ ।
5. मुख्य चिकित्साधिकारी लखनऊ ।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ ।
7. सम्बन्धित चिकित्साधिकारी (द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी लखनऊ)
8. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
9. प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने के साथ-साथ सम्बन्धित चिकित्सक का पी-2 संशोधित करने का कष्ट करें।
10. चिकित्सा अनुभाग-2/8/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अवधेश कुमार खरे)

अनु सचिव

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadeshujar.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग-3

संख्या-10/2016/102 /चि0-3-16-टी0-1(313)/2015

लखनऊ : दिनांक : 10 जनवरी, 2016

कार्यालय ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से डा0 अजय कुमार चौधरी, रेडियोलॉजिस्ट (वरि0क्र0-11954क, लेवल-2) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मुण्डेरवा ठकुराइन जनपद बहराईच को जनहित में स्थानान्तरित करते हुए 100 शैयया संयुक्त चिकित्सालय दर्शन नगर, फैजाबाद में रेडियोलॉजिस्ट के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

2- डा0 चौधरी को निर्देशित किया जाता है कि वह तत्काल अपने नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराये।

विनोद कुमार सिंह

संयुक्त सचिव

संख्या-10/2016/102 (1)/चि0-3-16,तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिदेशक/निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
2. अपर निदेशक (कार्मिक/गोपन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, देवीपाटन मण्डल, गोण्डा/फैजाबाद मण्डल फैजाबाद ।
4. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक 100 शैयया संयुक्त चिकित्सालय दर्शन नगर, फैजाबाद।
5. मुख्य चिकित्साधिकारी बहराईच।
6. वरिष्ठ कौषाधिकारी, बहराईच/फैजाबाद ।
7. सम्बन्धित चिकित्साधिकारी (द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी बहराईच)।
8. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
9. प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने के साथ-साथ सम्बन्धित चिकित्सक का पी-2 संशोधित करने का कष्ट करें।
10. चिकित्सा अनुभाग-2/8/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(अवधेश कुमार खरे)

अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-3
संख्या-11/2016/102-दो /चि0-3-16-टी0-1(313)/2015
लखनऊ : दिनांक : 18 जनवरी, 2016

कार्यालय ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से डा0 मनोज कुमार, बाल रोग विशेषज्ञ (वरि0क0-12002क3, लेवल-2) अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी जनपद गोण्डा को अनहित में स्थानान्तरित करते हुए 100 शैयया संयुक्त चिकित्सालय दर्शन नगर, फैजाबाद में बाल रोग विशेषज्ञ के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

2- डा0 कुमार को निर्देशित किया जाता है कि वह तत्काल अपने नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराये।


विनोद कुमार सिंह
संयुक्त सचिव

संख्या-11/2016/102-दो(1)/चि0-3-16,तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिदेशक/निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
2. अपर निदेशक (कार्मिक/गोपन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, देवीपाटन मण्डल, गोण्डा/फैजाबाद मण्डल फैजाबाद ।
4. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक 100 शैयया संयुक्त चिकित्सालय दर्शन नगर, फैजाबाद।
5. मुख्य चिकित्साधिकारी गोण्डा।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, गोण्डा/फैजाबाद ।
7. सम्बन्धित चिकित्साधिकारी (द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी गोण्डा)
8. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
9. प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने के साथ-साथ सम्बन्धित चिकित्सक-का पी-2 संशोधित करने का कष्ट करें।
10. चिकित्सा अनुभाग-2/8/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(अवधेश कुमार खरे)
अनु सचिव

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साईट <http://shasanadesh.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग-3

संख्या-12/2016/103 /चि0-3 16-टी0-1(315)/2015

लखनऊ : दिनांक : 18 जनवरी, 2016

कार्यालय जाप

तात्कालिक प्रभाव से डा0 अमरेश कुमार गुप्ता, त्वचा रोग विशेषज्ञ (वरि0क्र0-11952क3, लेवल-2) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सरोजनीनगर लखनऊ को जनहित में स्थानान्तरित/समायोजित करते हुए डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय (सिविल) लखनऊ में त्वचारोग विशेषज्ञ के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

2- डा0 गुप्ता को निर्देशित किया जाता है कि वह तत्काल अपने नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराये।

विनोद कुमार सिंह


संयुक्त सचिव

संख्या-12/2016/103 (1)/चि0-3-16,तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिदेशक/निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
2. अपर निदेशक (कार्मिक/गोपन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लखनऊ मण्डल, लखनऊ ।
4. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय (सिविल) लखनऊ।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी लखनऊ।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ ।
7. सम्बन्धित चिकित्साधिकारी (द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी लखनऊ)
8. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
9. प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने के साथ-साथ सम्बन्धित चिकित्सक का पी-2 संशोधित करने का कष्ट करें।
10. चिकित्सा अनुभाग-2/8/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,



(अवधेश कुमार खरे)

अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesha.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग-3

संख्या-13/2016/104 /चि0-3 16-टी0-1(319)/2015

लखनऊ : दिनांक : 18 जनवरी, 2016

कार्यालय ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से डा0 नासिर कमाल, स्त्री रोग विशेषज्ञ (वरि0क्र0-11952क, लेवल-2) जिला चिकित्सालय बस्ती को स्वानुरोध पर स्थानान्तरित/समायोजित करते हुए जिला महिला चिकित्सालय बस्ती में स्त्री रोग विशेषज्ञ के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

2- डा0 कमाल को निर्देशित किया जाता है कि वह तत्काल अपने नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराये।

विनोद कुमार सिंह


संयुक्त सचिव

संख्या-13/2016/104 (1)/चि0-3-16.तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिदेशक/निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
2. अपर निदेशक (कार्मिक/गोपन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, ~~उत्तर प्रदेश~~ मण्डल, ~~बस्ती~~ ।
4. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकित्सालय बस्ती ।
5. मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका जिला महिला चिकित्सालय, बस्ती ।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, बस्ती ।
7. सम्बन्धित चिकित्साधिकारी (द्वारा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकित्सालय बस्ती)
8. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
9. प्रभारी कंप्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने के साथ-साथ सम्बन्धित चिकित्सक का पी-2 संशोधित करने का कष्ट करें।
10. चिकित्सा अनुभाग-2/8/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(अवधेश कुमार खरे)

अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।